न्यायालयः <u>न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–5(उत्तर)</u>, कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेन्द्र सिंह, आर.जे.एस.

फौजदारी प्रकरण संख्या : 785/05

सरकार बनाम्

1–दीपक चौधरी पुत्र बच्चू सिंह, जाति जाट, उम्र 32 साल,
निवासी–बी–75, न्यू जवाहर नगर, कोटा।
2–भावेश दीक्षित पुत्र अशोक दीक्षित, जाति ब्राह्मण, उम्र 34 साल,
निवासी–माला रोड़, पुलिस थाना भीमगंजमण्डी, कोटा।
3–रविन्द्रसिंह साहनी पुत्र मनजीत सिंह, जाति सिक्ख, उम्र 32 साल,
निवासी–प्रताप नगर, पुलिस थाना दादाबाड़ी, कोटा।
4–अंकुर शर्मा पुत्र सुनील शर्मा, जाति ब्राह्मण, उम्र 33 साल,
निवासी–तलवण्डी, कोटा।
5–गजेन्द्र ठाकुर पुत्र कमलकांत, जाति ब्राह्मण, उम्र 29 साल,
निवासी–महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा।
6–श्रीनाथ अरोड़ा पुत्र जगदीश प्रसाद, जाति खत्री, उम्र 31 साल,
निवासी–पाटनपोल, पुलिस थाना मकबरा, कोटा।
7–आलोक सक्सेना पुत्र बृजनाथ, जाति कायस्थ, उम्र 30 साल,
निवासी–रामपुरा, थाना कोतवाली, कोटा।
8–जुबेद खान पुत्र अहमद खान, जाति मुसलमान, उम्र 30 साल,
निवासी–छत्रपुरा, पुलिस थाना विज्ञान नगर, कोटा।
9–मोहम्मद इरशाद पुत्र अब्दुल शकूर, जाति मुसलमान, उम्र 32 साल,
निवासी–छत्रपुरा, पुलिस थाना विज्ञान नगर, कोटा।

....अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा–147, 332/149,
353/149 भा.दं.सं. एवं धारा–3 पी डी पी पी एक्ट

उपस्थितिः–

1– विद्वान् सहायक लोक अभियोजक, सरकार की ओर से ।

2– विद्वान् अधिवक्तागण श्री हरीश शर्मा, अभियुक्तगण की ओर से ।

<u>निर्णय</u> दिनांकः–21 नवम्बर, 2014

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यानुसार दिनांक 17.07.2003 को फरियादी आरनॉल्ड मेधुकर फैड्रिक ने एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई कि ''आज दिनांक 17.07.2003 को 12.00 बजे जब मैं कार्यालय में बैठा हुआ था तथा

डा. के सी गोयल तथा आर पी पाण्डे विभागाध्यक्ष भी बैठे थे। इतने में दीपक चौधरी, रवींद्र, जुबेद, श्रीनाथ, अशोक सक्सेना, अविश दीक्षित, अंकुर शर्मा, ईर्शाद, गजेंद्र ठाकुर एवं इनके साथ 20–25 छात्र एकदम मेरे कार्यालय में घुस आये व आते ही दीपक चौधरी ने कहा कि प्रिंसिपल तेने कल हमारे खिलाफ थाना विज्ञान नगर मं मुकदमा दर्ज कराया है, आज तेरे को जिन्दा नहीं छोड़ेंगे या तो तू थाने से मुकदमा उठा ले वरना तेरी कयामत आ जायेगी। इस कॉलेज में तुझे रहना है तो जैसा हम चाहेंगे वैसा ही तुझे करना होगा। तब मेरे व मेरे सहयोगियों ने समझाने की कोशिश की तो एकदम दीपक चौधरी ने मेरे टेबिल पर मुक्का मारा, टेबिल को तोड़ दिया। साथ में आये श्रीनाथ, जुबेद, रवींद्र ने कार्यालय की कुर्सियॉ इधर–उधर फैंकी व गजेंद्र ठाकुर, अविश दीक्षित ने कार्यालय की आलमारी को पटक दिया व दूसरे लड़कों ने भी कार्यालय में पड़ी चीजें इधर–उधर फैंकी एवं मेरे एवं मेरे सहयोगियों के साथ अभद्र व्यवहार व खींचातानी कर बाहर ले जाने लगे। तब मौके पर पुलिस के जवाब एकदम आये तो मैंने निवेदन किया कि इनको मेरे कार्यालय से बाहर निकालो व हमारी सुरक्षा करो। पुलिस इन छात्रों को बाहर निकालने की कोशिश करने लगी तो इन्होंने पुलिस के साथ भी हाथापाई व मारपीट की। बाहर से भी काफी लड़के मुझे अन्दर आते नजर आये। सूचना कर डीवाईएसपी एवं एसएचओ थाना विज्ञान नगर को मौके पर बुलाया। तब दोनों अधिकारी मौके पर आये एवं इन बदमाश छात्रों को मेरे कार्यालय से बलपूर्वक बाहर खदेड़ा। छात्रों द्वारा मारपीट करने से पुलिस वालों के भी लगी है। इन छात्रों ने दिनांक 23.06.2003 से कॉलेज का वातावरण गन्दा कर रखा है। कल मेरे कार्यालय में घुसकर इन्हीं छात्रों में हितेंद्र शर्मा ने उपस्थिति पंजिका फाड़ डाली, मेरे कार्यालय का टेलीफोन तोड़ दिया जिसकी इत्तला थाना विज्ञान नगर पर 16.07.2003 को दी। तीन–चार दिन पहले भी ये लड़के मुझे मेरे कार्यालय से पकड़कर बाहर लाये व सड़क पर बिठा पेट्रोल छिड़ककर मार डालने की धमकी दी। पुस्तकालय में तोड़फोड़ की एवं घड़ी एवं कुर्सियॉ तोड़ दीं,'' आदि।

उक्त रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया व बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 30.09.2003 को धारा–अपराध अन्तर्गत धारा–147, 149, 332, 353 भां.दं.सं. एवं धारा–3 पी डी पी पी एक्ट में आरोप–पत्र न्यायालय में पेश किया गया । न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया गया ।

दिनांक 25.04.2008 को अभियुक्तगण को धारा–अपराध अन्तर्गत धारा–147, 332/149, 353/149 भां.दं.सं. एवं धारा–3 पी डी पी पी एक्ट के

अपराध के आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण ने अपराध से इंकार कर अन्वीक्षा चाही । अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी.डब्ल्यू 1 डॉ. पी. के. तिवारी, पी.डब्ल्यू 2 राजेंद्र प्रसाद पाण्डेय, पी.डब्ल्यू 3 अब्दुल हक, पी.डब्ल्यू 4 धीरज शर्मा, पी.डब्ल्यू 5 नवल किशोर, पी.डब्ल्यू 6 कैलाशचंद गोयल तथा पी.डब्ल्यू 7 आरनॉल्ड मधुकर फैड्रिक के बयान न्यायालय में लेखबद्ध कराये गये तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी. 1 लगायत प्रदर्श पी. 10 चोट प्रतिवेदन प्रपत्र, प्रदर्श पी. 11 फर्द नक्शा मौका, प्रदर्श पी. 12ए जिला पुलिस अधीक्षक, कोटा नगर के आदेश की फोटोप्रति, प्रदर्श पी. 13 रिपोर्ट तहरीरी, प्रदर्श पी. 14 चाकशुदा एफ आई आर, प्रदर्श पी. 15 बयान कैलाशचंद गोयल, प्रदर्श पी. 16 बयान अरनॉल्ड मधुकर तथा प्रदर्श पी. 17 प्रमाण–पत्र को प्रदर्शित करवाया गया । साक्ष्य अभियोजन बंद की गई व अभियुक्तगण के बयान मुलजिम धारा–313 दं.प्रं.सं. के तहत लेखबद्ध किये गये । अभियुक्तगण ने साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा । अतः बहस अन्तिम सुनी गयी व पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्तगण का बहस के दौरान कथन है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध झूंठा है । प्रकरण के महत्वपूर्ण गवाहान पक्षद्रोही घोषित हुए हैं तथा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करते है और न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। इसलिए उन्हें बरी किया जावे । इसके विपरीत विद्वान् सहायक लोक अभियोजक ने अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया है ।

अब प्रकरण में मेरे समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि :–

क्या दिनांक 17.07.2003 को 12.00 बजे के लगभग वाके राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय, कोटा में अभियुक्तगण ने एक साथ मिलकर विधि विरूद्ध समूह का गठन कर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया एवं फरियादी मधुकर फेड्रिक जो कि लोक सवेक के नाते अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कर रहा था, के साथ स्वेच्छया मारपीट कर उसके कर्त्तव्य से भयोपरत करने के आशय से उपहति कारित की एवं तत्काल उपहति कारित करने के भय में डालकर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया तथा साथ ही महाविद्यालय की राजकीय सम्पत्ति को क्षति पहुॅचाई?

यदि हॉ, तो दण्ड की मात्रा क्या होगी ?

इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहान् में सर्वप्रथम गवाह पी.डब्ल्यू 7 आरनॉल्ड मधुकर फैड्रिक जो कि फरियादी गवाह है, की साक्ष्य का अवलोकन करें तो यह गवाह अपने मुख्य परीक्षण में जाहिर कर रहा है कि 17 जुलाई 2007 की बात है। मेरे पास दीपक चौधरी, श्रीनाथ अरोड़ा, अहमद आदि के साथ करीब 15–20 विद्यार्थी थे। मैं उस समय अपने चेम्बर में था। मेरे साथ दो विभागीय अध्यक्ष बैठे हुए थे। ये सभी लोग चेम्बर में आये और हमारी पंजिका लेकर टुकड़े–टुकड़े कर दिये। यह कार्य दीपक चौधरी की अगुवाई में मिलकर किया। उपस्थित छात्रों ने टेबल पर रखा कॉच तोड़ दिया, टेलीफोन भी तोड़ दिया एवं आलमारी गिरा दी। दीपक चौधरी ने मुझे धमकी दी कि तुम्हें पेट्रोल डालकर जला दूॅगा। वहॉ पर मेरे साथ बैठे हुए विभागीय अध्यक्ष के साथ किसी प्रकार की मारपीट व शारीरिक घटना नहीं हुई। मेरे साथ और किसी प्रकार की घटना नहीं हुई थी। मैंने घटना के बाद पुलिस को सूचना दी थी। अभियोजन पक्ष की ओर से इस गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। विद्वान् सहायक लोक अभियोजक द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में गवाह ने अज खुद कहा कि इनको माफ कर दिया जाना चाहिये। विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में गवाह ने जाहिर किया कि यह सही है कि घटना के समय कॉलेज छात्र आन्दोलन चल रहा था, छात्रों की व्यवस्था की मांग की जा रही थी। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं जानता हूॅ।

घटना का अन्य चश्मदीद गवाह पी.डब्ल्यू 2 राजेंद्र प्रसाद पाण्डेय न्यायालय के समक्ष हुए सशपथ बयानों के दौरान पक्षद्रोही हुआ है और यह गवाह अपने मुख्य परीक्षण में जाहिर कर रहा है कि दिनांक 17.07.2003 को मैं राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय, कोटा में व्याख्याता के पद पर था। सुबह के 12 बजे के लगभग मैं क्लास लेकर आ रहा था। मैं प्रिंसिपल मधुकर फैडिक के चैम्बर में गया जहां डां. के सी गोयल बैठे थे। चैम्बर के बाहर से शोरगुल की आवाज आई तो गोयल साहब ने मुझे देखने को कहा। मैंने बाहर आकर देखा तो 100–150 लड़कों की भीड़ प्रिंसिपल चैम्बर की ओर जा रही थी। मैंने उनसे पूछा किस कारण से जा रहे हो तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। थोड़ी देर में पुलिस ने आकर छात्रों को प्रिंसिपल चैम्बर से खदेड़ दिया। चैम्बर में मेरे सामने कोई घटना नहीं हुई, भीड़ में कौन–कौन व्यक्ति चैम्बर में घुसे, मुझे पता नहीं है। चैम्बर में मैंने कोई नुकसान नहीं देखा। विद्वान् सहायक लोक अभियोजक द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया कि पुलिस ने मेरे कोई बयान नहीं लिये थे। पुलिस बयान प्रदर्श पी. 12 का ए से बी भाग मैंने पुलिस को नहीं दिया।

गवाह पी.डब्ल्यू 6 कैलाशचंद गोयल घटना का चश्मदीद साक्षी है जो कि न्यायालय के समक्ष हुए सशपथ बयानों के दौरान पक्षद्रोही रहा है तथा यह गवाह अपने मुख्य परीक्षण में जाहिर कर रहा है कि सन् 2003 में मैं कॉमर्स कॉलेज के स्टाफ रूम में बैठा था। मैंने प्राचार्य कक्ष में कुछ शोरगुल तथा उठापठक की आवाज सुनी। मैं प्राचार्य कक्ष की ओर गया व देखा कि पुलिस प्राचार्य कक्ष से कुछ छात्रों तथा उपद्रवी तत्वों को बाहर निकाल रही थी। छात्रों की संख्या लगभग 20–25 होगी। मैं सभी को नहीं जानता लेकिन उनमें दीपक चौधरी व श्रीनाथ अरोड़ा को पहचानता हूॅ। जब छात्रों को पुलिस ने वहॉ से बाहर कर दिया तो मैंने देखा प्राचार्य कक्ष अस्त–व्यस्त है, कुर्सियॉ उल्टी हुई हैं तथा सामान बिखरा हुआ है। विद्वान् सहायक लोक अभियोजक द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया कि यह कहना गलत है कि मैं घटना के समय प्रधानाचार्य के कार्यालय में बैठा था। यह सारी घटना मेरे सामने नहीं घटी है, मैंने कोई घटना नहीं देखी।

इसके अलावा गवाह पी.डब्ल्यू 3 अब्दुल हक का अपने मुख्य परीक्षण में कथन रहा है कि दिनांक 17.07.2003 को मैं थाना विज्ञान नगर में कांस्टेबल के पद पर तैनात था। उस दिन थाने पर सूचना आई कि कॉमर्स कॉलेज में झगड़ा हो रहा है। इस सूचना पर राकेशपाल सिह सी आई, शंकरसिंह कांस्टेबल, नवल किशोर व राजेश कांस्टेबल मय जाब्ता कॉमर्स कॉलेज पहॅुचे। प्रिंसिपल ऑफिस में गये जो अन्दर से बंद था। दरवाजा खुलवाया प्रिंसिपल श्री अरनाड मधुकर ऑफिस में थे। उनके साथ दीपक चौधरी, रवींद्र, जुबेद, श्रीनाथ, आलोक, भावेश, अंकुर शर्मा, इरशाद व गजेंद्र ठाकुर अभद्र व्यवहार कर रहे थे व ऑफिस में रखा सामान आलमारी, टेबल, सरकारी सामान को तोड़फोड़ कर रहे थे। जिनको रोका तो हमारे साथ मारपीट की। मेरे दाहिने हाथ के अंगूठे व दाहिने हाथ पर चोटें आईं थीं। उसी दिन इन सभी का मेडिकल कराया। हमारे राजकार्य में बाधा हुई और 20–25 अन्य लड़के भी थे, जिन्होंने राजकार्य में बाधा उत्पन्न की। मेरा पदास्थापन पुलिस लाईन से विज्ञान नगर थाने में प्रदर्श पी. 12 है जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श पी. 12ए पत्रावली में शामिल है। विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में गवाह ने जाहिर किया कि यह सही है कि जब भी कोई पुलिसकर्मी राजकार्य से रवाना होता है तो उसकी रवानगी रपट व वापस आता है तो वापसी रपट रोजनामचे में डाली जाती है तथा यह सही है कि उक्त दिवस को हम पुलिसकर्मी थाने से रवाना और वापसी की रपट रोजनामचे में डाली हो, पत्रावली में शामिल नहीं है। यह सही है कि जब हम कॉमर्स कॉलेज के अन्दर पहॅुचे तो छात्रों का हुजूम नारेबाजी कर रहा था और जब प्रिंसिपल साहब का ऑफिस खुलवाकर अन्दर गये तो वहॉ 100–50 लड़कों का हुजूम मौजूद था। यह सही है कि मैं उनमें से किसी को भी नाम व शक्ल से नहीं जानता। गवाह ने जाहिर किया कि मैंने अपने मुख्य परीक्षण में जिन

लड़कों के नाम लिखवाये हैं, वे नाम प्रिंसिपल साहब द्वारा जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दी गई थी, उसमें लिखे नामों के आधार पर लिखाये हैं। यह सही है कि मैं आज भी उन लड़कों को नाम से नहीं जानता। यह सही है कि हम लोग अन्दर घुसे तो छात्रों में भगदड़ मच गई और वे चले गये।

गवाह पी.डब्ल्यू 4 धीरज वर्मा का अपने मुख्य परीक्षण में कथन रहा है कि मैं दिनांक 17.07.2003 को पुलिस थाना विज्ञान नगर में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन सवा 12 बजे प्राचार्य कॉमर्स कॉलेज की सूचना के आधार पर कॉलेज में हंगामा होने की सूचना पर एस एच ओ राकेशपाल व जाब्ते के साथ कॉमर्स कॉलेज पहुॅचा। जहॉ प्राचार्य कक्ष में प्राचार्य मधुकर पैट्रीक व अन्य को कुछ छात्रों ने कमरे में घेर रखा था। राकेशपाल सी आई को तहरीर प्राप्त हुई । तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 13 है जिसकी कार्यवाही पुलिस एवं चाक एफ आई आर प्रदर्श पी. 14 पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं। अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया कि प्रदर्श पी. 13 किसके हस्तलेख की है, मुझे पता नहीं है। प्रदर्श पी. 13 में क्या लिखा था, मैंने नहीं पढ़ा। हम थाने से सवा बारह बजे रवाना हुए थे। रोजनामचे की नकल पत्रावली में नहीं है।

गवाह पी.डब्ल्यू 5 नवल किशोर भी जाब्ते का सदस्य है जो अपने मुख्य परीक्षण में जाहिर कर रहा है कि दिनांक 17.07.2003 को हम एस एच ओ साहब राकेशपाल के साथ मैं, अब्दुल हक, शंकरसिंह व राजेश कांस्टेबल कॉमर्स कॉलेज पहुॅचे। जहॉ प्रिंसिपल साहब के चैम्बर में पहुॅचे तो चेम्ब्र की कुन्दी लगी हुई थी। जिसे खुलवाकर अन्दर प्रवेश किया। जहॉ पर कुर्सी, टेबल व आलमारी की तोड़फोड़ की जा रही थी। दीपक चौधरी, रवींद्र, जुबेद, श्रीनाथ, आशीष सक्सेना, आकेश दीक्षित, ईशान, रवींद्र आदि के नेतृत्व में 20–25 लड़के थे, जिनको रोकना चाहा तो पुलिस जाब्ते के साथ भी धक्का–मुक्की की। जिससे मेरे दाहिने हाथ की अंगूली में चोट आई। प्रिंसिपल साहब ने थाने पर मुकदमा दर्ज करवाया। इस गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण में सशपथ बयानों के दौरान जाहिर किया कि यह बात सही है कि पत्रावली में रवानगी रपट नहीं है। यह बात सही है कि जब हम वहॉ पहुॅचे तो कैम्पस में छात्र नारेबाजी कर रहे थे। नारेबाजी करने वाले छात्रों की संख्या लगभग 150–200 की रही होगी। यह बात सही है कि जैसे ही पुलिस पहुॅची तो छात्रों में भी भगदड़ मच गई थी। लगभग 30–35 छात्रों का हुजूम प्रिंसिपल ऑफिस में था। यह बात सही है कि उन 30–35 छात्रों को मैं नाम व शक्ल से नहीं जानता। प्रिंसिपल साहब द्वारा जो एफ आई आर दर्ज करवाई थी उसी के आधार पर मैंने मुख्य परीक्षा में उनके नाम लिखाये थे। आज भी मैं उनको नहीं जानता हूॅ।

इसके अतिरिक्त गवाह पी.डब्ल्यू डॉ. पी. के. तिवारी चिकित्सीय साक्षी है जो मजरूबान् के आई चोटों का चिकित्सीय परीक्षण करना एवं स्वयं द्वारा चोट प्रतिवेदन प्रपत्र तैयार किये जाने का कथन कर रहा है। इसके अलावा अभियोजन पक्ष की ओर से अन्य कोई गवाह न्यायालय के समक्ष पेश कर परीक्षित नहीं करवाया गया है।

इस प्रकार पत्रावली पर आई उपरोक्त साक्ष्य के अवलोकन के उपरांत अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित कर पाने में असफल रहा है । क्योंकि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत घटना का फरियादी न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुआ है एवं साथ ही उक्त फरियादी अपनी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 13 में जिन गवाहान् कैलाशचंद गोयल एवं आर पी पाण्डेय का वक्त घटना स्वयं के साथ बैठना वर्णित कर रहा है, वे दोनों चक्षुदर्शी साक्षीगण भी न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुए है। घटना का फरियादी पी.डब्ल्यू 7 आरनॉल्ड मधुकर स्वयं द्वारा दर्ज कराई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी. 13 के विपरीत कथन अपने सशपथ बयानों के दौरान कर रहा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में फरियादी द्वारा यह अंकित किया गया है कि मुलजिमान् मुझे व मेरे सहयोगियों के साथ अभद्र व्यवहार एवं खींचातानी कर बाहर ले जाने लगे जबकि न्यायालय के समक्ष हुए सशपथ बयानों मुख्य परीक्षण में गवाह ने स्पष्टतः जाहिर किया कि वहॉ पर मेरे साथ बैठे हुए विभागीय अध्यक्ष के साथ किसी प्रकार की मारपीट व शारीरिक घटना नहीं हुई। मेरे साथ और किसी प्रकार की घटना नहीं हुई थी। यहॉ तक कि इस गवाह ने सहायक लोक अभियोजक द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण के दौरान कथन किया कि इनको माफ कर दिया जाना चाहिये। अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में गवाह ने जाहिर किया है कि लोगों ने मुझे जो नाम बताये उनके नाम प्रदर्श पी. 13 में लिखवाये थे। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं जानता। इस प्रकार स्वयं फरियादी गवाह लोगों के बताये अनुसार मुलजिमान् के नाम लिखवाना अपने बयानों के दौरान जाहिर कर रहा है। इस प्रकार स्वयं फरियादी के उक्त कथन अभियोजन कहानी के प्रति युक्तियुक्त संदेह पैदा करते हैं। इसके अतिरिक्त घटना के चक्षुदर्शी साक्षी पी.डब्ल्यू 6 कैलाशचंद गोयल जो कि पक्षद्रोही घ ोषित हुआ है, सशपथ बयानों के दौरान सहायक लोक अभियोजक द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में स्पष्टतः जाहिर करता है कि यह सारी घटना मेरे सामने नहीं घटी है, मैंने कोई घटना नहीं देखी है। इसी प्रकार चक्षुदर्शी साक्षी पी.डब्ल्यू 2 राजेंद्र प्रसाद पाण्डेय भी पक्षद्रोही रहा है जो अपने मुख्य परीक्षण में जाहिर कर रहा है कि चैम्बर में मेरे सामने कोई घटना नहीं हुई, भीड़ में कौन–कौन व्यक्ति चैम्बर में घुसे, मुझे पता नहीं है। चैम्बर में मैंने कोई नुकसान नहीं देखा। यह गवाह प्रतिपरीक्षण के दौरान पुलिस बयान प्रदर्श पी. 12 का ए से बी भाग भी लिखाये जाने से इंकारी कर रहा है। उक्त गवाहान् के अतिरिक्त अन्य गवाहान जो कि

पुलिस जाब्ते के सदस्य रहे हैं, उन गवाहान् में पी.डब्ल्यू 3 अब्दुल हक मुख्य परीक्षण में घटना की ताईद कर रहा है किन्तु अधिवक्ता मुलजिमान् की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण के दौरान यह गवाह विरोधाभासी बयान दे रहा है कि यह सही है कि जब भी कोई पुलिसकर्मी राजकार्य से रवाना होता है तो उसकी रवानगी रपट व वापस आता है तो वापसी रपट रोजनामचे में डाली जाती है तथा यह सही है कि उक्त दिवस को हम पुलिसकर्मी थाने से रवाना और वापसी की रपट रोजनामचे में डाली हो, पत्रावली में शामिल नहीं है। यह सही है कि जब हम कॉमर्स कॉलेज के अन्दर पहुॅचे तो छात्रों का हुजूम नारेबाजी कर रहा था और जब प्रिंसिपल साहब का ऑफिस खुलवाकर अन्दर गये तो वहॉ 100–50 लड़कों का हुजूम मौजूद था। यह सही है कि मैं उनमें से किसी को भी नाम व शक्ल से नहीं जानता। गवाह ने जाहिर किया कि मैंने अपने मुख्य परीक्षण में जिन लड़कों के नाम लिखवाये हैं, वे नाम प्रिंसिपल साहब द्वारा जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दी गई थी, उसमें लिखे नामों के आधार पर लिखाये हैं। यह सही है कि मैं आज भी उन लड़कों को नाम से नहीं जानता। यह सही है कि हम लोग अन्दर घुसे तो छात्रों में भगदड़ मच गई और वे चले गये। अर्थात् उक्त गवाह के इन कथनों से यह साफ जाहिर है कि इस गवाह द्वारा मुलजिमान् के नाम प्रिंसिपल साहब द्वारा दर्ज करवाई गई प्राथमिकी के आधार पर बताये गये हैं तथा पुलिस के मौके पर पहुॅचते ही छात्रों में भगदड़ मच गई और वे चले गये। इसी प्रकार की साक्ष्य गवाह पी.डब्ल्यू 5 नवलकिशोर ने अपने प्रतिपरीक्षण में जाहिर किया है कि यह बात सही है कि पत्रावली में रवानगी रपट नहीं है। यह बात सही है कि जब हम वहॉ पहुॅचे तो कैम्पस में छात्र नारेबाजी कर रहे थे। नारेबाजी करने वाले छात्रों की संख्या लगभग 150–200 की रही होगी। यह बात सही है कि जैसे ही पुलिस पहुॅची तो छात्रों में भी भगदड़ मच गई थी। लगभग 30–35 छात्रों का हुजूम प्रिंसिपल ऑफिस में था। यह बात सही है कि उन 30–35 छात्रों को मैं नाम व शक्ल से नहीं जानता। प्रिंसिपल साहब द्वारा जो एफ आई आर दर्ज करवाई थी उसी के आधार पर मैंने मुख्य परीक्षा में उनके नाम लिखाये थे। आज भी मैं उनको नहीं जानता हूॅ। इस प्रकार उक्त दोनों ही पुलिसकर्मी गवाहान् के समक्ष कोई घटना घटित होना प्रतीत नहीं होता बल्कि उनके पहुॅचते ही छात्रों की भीड़ वहॉ से भाग गई। इसके अतिरिक्त इन गवाहान् ने रवानगी रपट पत्रावली में शामिल होने से इंकारी की है एवं गवाह पी. डब्ल्यू 4 धीरज वर्मा ने अपने प्रतिपरीक्षण में जाहिर किया है कि रोजनामचे की नकल पत्रावली में नहीं है जो कि अभियोजन कहानी के प्रति संदेह पैदा करता है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री के समग्र अवलोकन से यह तथ्य उभरकर सामने आ रहा है कि तत्समय कॉलेज में आन्दोलन चल रहा था और छात्रों की मांगो को लेकर हंगामा हो रहा था तथा 150–200 छात्रों की संख्या में वक्त घटना छात्रों की मौजूदगी अभियोजन पक्ष के गवाहान् ने बतायी है जिससे यह तथ्य अभियोजन पक्ष स्पष्ट रूप से साबित कर पाने में असफल रहा है कि मुलजिमान् द्वारा ही

उक्त भीड़ में सम्मिलित होकर तथाकथित घटना कारित की गई हो क्योंकि अभियोजन के महत्वपूर्ण गवाहान् पक्षद्रोही घोषित हुए हैं एवं अन्य गवाहान् फरियादी द्वारा दर्ज करवाई गई एफ आई आर के आधार पर मुलजिमान् का नाम घटना में शामिल होना बताते हैं जबकि फरियादी स्वयं ही न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हो चुका है और उक्त गवाह लोगों के बताये अनुसार मुलजिमान् के नाम प्रदर्श पी. 13 तहरीरी रिपोर्ट लिखवाना जाहिर कर रहा है। इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी को न्यायालय के समक्ष पेश कर परीक्षित नहीं कराया गया है और ना ही अन्य कोई गवाह अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये हैं।

ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित कर पाने असफल रहा है, इसलिए अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किया जाता है ।

आदेश

परिणामतः अभियुक्तगण दीपक चौधरी पुत्र बच्चू सिंह, जाति जाट, उम्र 32 साल, निवासी–बी–75, न्यू जवाहर नगर, कोटा, भावेश दीक्षित पुत्र अशोक दीक्षित, जाति ब्राह्मण, उम्र 34 साल, निवासी–माला रोड़, पुलिस थाना भीमगंजमण्डी, कोटा, रविन्द्रसिंह साहनी पुत्र मनजीत सिंह, जाति सिक्ख, उम्र 32 साल, निवासी–प्रताप नगर, पुलिस थाना दादाबाड़ी, कोटा, अंकुर शर्मा पुत्र सुनील शर्मा, जाति ब्राह्मण, उम्र 33 साल, निवासी–तलवण्डी, कोटा, गजेन्द्र ठाकुर पुत्र कमलकांत, जाति ब्राह्मण, उम्र 29 साल, निवासी–महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा, श्रीनाथ अरोड़ा पुत्र जगदीश प्रसाद, जाति खत्री, उम्र 31 साल, निवासी–पाटनपोल, पुलिस थाना मकबरा, कोटा, आलोक सक्सेना पुत्र बृजनाथ, जाति कायस्थ, उम्र 30 साल, निवासी–रामपुरा, थाना कोतवाली, कोटा, जुबेद खान पुत्र अहमद खान, जाति मुसलमान, उम्र 30 साल, निवासी–छत्रपुरा, पुलिस थाना विज्ञान नगर, कोटा, मोहम्मद इरशाद पुत्र अब्दुल शकूर, जाति मुसलमान, उम्र 32 साल, निवासी–छत्रपुरा, पुलिस थाना विज्ञान नगर, कोटा को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा–147, 332/149, 353/149 भां.दं.सं. एवं धारा–3 पी डी पी पी एक्ट के अपराध से सन्देह का लाभ प्रदान कर दोषमुक्त घोषित किया जाता है । अभियुक्तगण के न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत् पेश किये गये जमानत मुचलके तुरंत प्रभाव से निरस्त किए जाते हैं।

(नरेन्द्र सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट कम–5(उत्तर),
कोटा ।

निर्णय आज दिनांक **21 नवम्बर, 2014** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(नरेन्द्र सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–5(उत्तर),
कोटा ।